राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	देवी सिंह बनाम अमर सिंह 601/2023, 602/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 14/10/2025 को पेश हो |	
14.10.25	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो पृथक-पृथक वाद पेश किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत तकसीम जायदाद व किए जाने बेदखल व हुक्म ईम्तनाई दवामी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/08/2019 पारित करते हुये आराजी खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्टेयर वाके ग्राम चौरोटी पहाड़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर को जमाबन्दी अनुसार अमर सिंह 1/3 भाग, देवी सिंह के वारिसान सोभाग सिंह, गोपाल सिंह, धारा सिंह, प्रहलाद सिंह, बहादुर सिंह पुत्रान एवं हरिबाई, उर्मिला पुत्रीयो एवं विजय सिंह के वारिसान राजू उर्फ़ राजकुमार पुत्रान श्रीमती निम्मो पुत्री को 1/3 भाग, रतन सिंह के वारिसान हुकम सिंह, नरेन्द्र सिंह, कमल सिंह, ललिता पत्नी स्व. रतन सिंह, मोहन की पत्नी पिंकी मोहन के पुत्र नाबालिक रोहित जर्ये सरपस्त माता पिंकी खुद, नाबालिक शैली, डोली पुत्रियान जर्ये सरपस्त माता पिंकी खुद एवं किशन सिंह के वारिसान, शीला, कविता उर्फ़ किरण, गायत्री, सविता पुत्रियान ईश्वर सिंह को 1/3 भाग पर रिसीवर से मुक्त कर कब्जा दिए जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बेदखली में निर्णय दिनांक 05/08/2019 पारित करते हुये आराजीयात में बकाश्त देवी सिंह, विजय सिंह पिता गणपत सिंह समान भाग सा. देह शिकमी का नाम तर्क कर आराजी खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 वाके ग्राम चौरोटी पहाड़ तहसील रामगढ़, जिला अलवर से प्रतिवादीगणों को बेदखल कर खातेदार अमर सिंह 1/2 भाग एवं रतन सिंह के 1/4 भाग में उसके वारिसान हुकम सिंह, नरेन्द्र सिंह, कमल सिंह, मोहन सिंह की बीवी पिंकी एवं तीन नाबालिक पुत्र एवं पुत्रियान रोहित, शैली, डोली जर्ये सरपस्त माता खुद पिंकी, रतन सिंह की पत्नी ललता देवी को, किशन सिंह के 1/4 भाग में उसके वारिसान श्रीमती शीला, श्रीमती गायत्री, सविता, कविता उर्फ़ किरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

देवी सिंह बनाम अमर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	601/2023, 602/2023	

पुत्रियान एवं ईश्वरी सिंह पुत्र को जमाबन्दी के अनुसार उनके हिस्से पर कब्जा दिलाया जावे के आदेश प्रदान किये गये | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों दावो में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05/08/2019 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष दो पृथक-पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी | तत्पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा आदेश दिनांक 23/06/2023 के माध्यम से पत्रावली संख्या 53/2019 उनवानी देवी सिंह बनाम अमर सिंह एवं पत्रावली संख्या 54/2019 उनवानी देवी सिंह बनाम अमर सिंह इस न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | लिखित बहस के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का समुचित संज्ञान लेकर ही दोनों वादों में अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीये पारित की गयी है, जिसमे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इन दोनों अपीले के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रश्नाधीन वादों में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/08/2019 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश 601/2023 व 602/2023 खारिज की जाती है | निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे |

पत्रावलीयां फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर